

भेजा है। अतिमात्र प्राप्ति उपरो
 क्त कृपया गिर। कृपया दोशन
 अतिमात्र प्राप्ति के निवेदन किया
 कि प्रार्थना- एक स्थानान्तरण प्रस्ताव
 करने के उपरान्त भी उपरोक्त अधिकारी
 मालपुरा द्वारा दिनांक 30-12-2022
 को आदेशों के जिर में कार्यवाही करने
 का आदेश पारित कर दिया है।
 अतः दिनांक 30-12-2022 को अतिमात्र
 की कार्यवाही को निरस्त करे हुए
 प्रस्ताव अपर उपरोक्त अधिकारी मालपुरा
 के-यापालय में सुनवाई करने हेतु
 भिजवाया जाना उचित है कि प्रार्थना
 पर अपने सबूत परलक्षणों का अन्वेषण
 किया। यह प्रार्थना- एक-यापालय हाज
 री दिनांक 28-12-2022 को दर्ज हो चुका
 था जिसकी सूचना अधिन्याय-यापालय
 के जीठासीन अधिकारी को दी जा चुकी थी
 किन्तु इसके उपरान्त भी उनके द्वारा
 दिनांक 30-12-2022 को आदेश जारी
 कर दिया गया जो उचित प्रतीत नहीं
 होता है। अतः दिनांक 30-12-2022
 की आदेशों का आदेश निरस्त
 किया जाकर अज्ञान में कार्यवाही
 जीठासीन अधिकारी को निर्देशित
 किया जाता है कि प्रस्ताव के नियमानुसार
 नियमित सुनवाई कर अतिम कार्यवाही
 करे। प्रार्थना निरस्त सुनवाई हेतु
 काय करीर याचित करल है।

अधिकारी विजय कठेर
 दीव